कांड-88/20

05.09.20 कारावासित अभियुक्त ① जनार्दन मेहता ② ज्योतिष कुमार मेहता ③ सुजीत कुमार मेहता की ओर दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री देवचंद्र मेहता का अभिकथन है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष एवं कोई अपराध नहीं किया है साथ हि ग्रामीण षड्यंत्र के तहत फँसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया धारा- 379, 307, 354B भा.दं.वि को छोड़कर सभी धाराऐ जमानतीय है एवं अपराध को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है प्रार्थी अभियुक्तगण आपस मे गोतिया हैं एवं पूर्व से हि उनके बीच जमीनी विवाद है। प्रार्थी अभियुक्त ज्योतिष कुमार मेहता पंचायत शिक्षक हैं एवं घटना के समय उपस्थित नहीं थे। अतः उचित जमानत पर मुक्त करने की निवेदन करते है।

लगातार

कम्बाईन - 88/20

लगातार 05.09.20

विद्वान A.P.O श्री अमेश कुमार जमानत का घोर विरोध करते हैं।

जमानत के बिंदु पर उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभयपक्षों के बीच में जमीनी विवाद है। प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी नामजद हैं एवं उनके विरुद्ध धारा 341, 323, 324, 307, 354B, 379, 504, 506, 34 भा.द.वि के अंतर्गत अपराध दर्ज है केश डायरी का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि केशडायरी की कंडिका 07, 08, 09, 10 में साक्षियों ने प्रार्थी अभियुक्तगण के द्वारा कारित घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया है। धारा 307, 354B, 379 भा.द.वि अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है साथ हि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय प्रार्थी अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं समझती है

अतः कारावासित अभियुक्त ① जनार्दन मेहता ② सुजीत कुमार मेहता ③ ज्योतिष कुमार मेहता का जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है

लें०

[signature]

न्या. द०